

कार्यालय जिला पंचायत, बाराबंकी

परमिट संख्या: 108 / मानचित्र / जि0पं0 / 2022-23

दिनांक: 28 अप्रैल, 2022

श्री अभय नारायन गिरि,
निदेशक,
रायल भूमि डेवलपर्स प्रा0लि0,
निवासी-4/369, विवेक खण्ड,
गोमती नगर, जनपद लखनऊ ।

अनुज्ञा-पत्र

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 25-03-2022 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि गाटा संख्या-92 व 96 स्थित ग्राम मुजफ्फरमऊ, परगना देवां, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी में रायल भूमि डेवलपर्स प्रा0लि0 के नाम से ले-आउट प्लान निर्माण हेतु भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल 4060.00 वर्गमीटर के सापेक्ष भू-आच्छादन 59.75 प्रतिशत, पार्क का क्षेत्रफल 609.08 वर्ग मीटर, सड़क मार्ग का क्षेत्रफल 1024.90 वर्गमीटर छोड़ते हुए प्लानिंग हेतु कुल कवर्ड एरिया 2426.02 वर्ग मीटर हेतु प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 28-04-2022 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

स्वीकृति दिनांक 28-04-2022 के अनुक्रम में उपर्युक्त मानचित्र जिला पंचायत बाराबंकी की भवन निर्माण उपविधि दिनांक 18 अप्रैल, 2020 के उपबन्धों के अधीन तथा निम्नलिखित उपबन्धों/प्रतिबंध सहित स्वीकार किया जाता है।

- (1) अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा की गयी स्वीकृति स्वयं में निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
- (2) मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों से यथा आवश्यक लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यस्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कुशल एवं दक्ष आर्किटेक्ट/इंजीनियर की देख-रेख में कराना होगा।
- (3) समस्त सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा/अनापत्ति प्राप्त न किये जाने की दशा में परमिट स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- (4) प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य करते समय तथा निर्माण अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत नक्शे के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की अनुमति नहीं है।
- (6) प्रतिबंध यह रहेगा कि आवेदक द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित कर जलमल/सीवरेज/उत्सर्जित पदार्थ का निस्तारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाये।
- (7) प्रतिबंध यह रहेगा कि मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स/लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के नियम यथावत लागू रहेंगे।
- (8) प्रतिबंध यह रहेगा कि ले-आउट प्लान निर्माण कार्य मानचित्र के अनुसार कुल कवर्ड एरिया भवन 2426.02 वर्ग मीटर एवं ओपेन एरिया 1633.98 वर्ग मीटर से ही निर्माण कार्य प्रतिबन्धित होगा।
- (9) प्रतिबंध यह रहेगा कि 12 मीटर सड़क के दोनों ओर व 09 मीटर सड़क के एक ओर तथा ग्रीन एरिया में अधिकतम 10-10 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
- (10) प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भूमि का विकास कार्य नहर की सीपेज ड्रेन एवं रेट नाला/नदी के डूब क्षेत्र को छोड़कर तथा सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कराया जायेगा अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (11) प्रतिबंध यह रहेगा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
- (12) प्रतिबंध रहेगा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश व सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना अनिवार्य व बन्धनकारी होगा।

- (13) प्रतिबंध यह रहेगा कि विक्रेता द्वारा सम्पत्ति को खरीदारों में बिक्री से पूर्व भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश (RERA) में पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा।
- (14) सड़क, नाली, सीवर लाईन, बिजली व मार्ग प्रकाश, ग्रीन एरिया, जलापूर्ति प्रणाली, पार्क, वाटर बाडी आदि समस्त विकास कार्य पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा तथा समस्त विकास कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त ही प्लॉटों की बिक्री प्रारम्भ की जायेगी।
- (15) तल पट निर्माण में श्रम विभाग के प्राविधानों का पालन करते हुए आवश्यक सेस कर का भुगतान श्रम विभाग को तल पट स्वामी/संस्था द्वारा करना होगा।
- (16) भारत सरकार अथवा उ०प्र० सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, ईमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण अनुमन्य नहीं है।
- (17) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (18) स्वीकृत मानचित्र में इलेक्ट्रिक लाइन से ऊर्ध्वाकार दूरी $3.70 + (0.305 \text{ मीटर})$ प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज एवं $1.80 + (0.305 \text{ मीटर})$ प्रत्येक 33000 वोल्टेज पर क्षैतिज दूरी सुनिश्चित की जाएगी।
- (19) राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रस्तावित स्थल की दूरी मार्ग के मध्य से 67.10 मीटर और सम्पर्क मार्ग से अथवा गलियारे से 10 मीटर होना आवश्यक है।
- (20) निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु निर्गत अनुज्ञा के दिनांक से 03 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करना होगा यदि किसी कारण से निर्माण उक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ तो आवेदक/संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुनः विचार कर निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में पुनः स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (21) उपरोक्त स्वीकृत मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
- (22) किसी भी प्रकार के भूमि व अन्य विवाद के उत्पन्न होने पर जिला पंचायत, बाराबंकी इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय, बाराबंकी होगा।
- (23) स्वामित्व विवादित पाये जाने पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (24) स्वीकृत मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त होगा।
- (25) प्रस्तावित भूखण्ड पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराया जायेगा। भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
- (26) स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित एरिया सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे चकमार्ग, नाली, तालाब, मरघट, चासगाह व नदीन परती भूमि, बाराबंकी की महायोजना से आच्छादित भूमि, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, अग्निरामन विभाग, वन विभाग, रेलवे विभाग व अन्य आवश्यक विभाग की भूमि होने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

अभियन्ता,
जिला पंचायत, बाराबंकी

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत बाराबंकी

पृष्ठांकन संख्या:


/मानचित्र/जि०प०/2021-22तद्विनांकित।

प्रतिलिपि :

सचिव, उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।



अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बाराबंकी।

UMI DEVELOPERS PVT. LTD.
 96 VILL.- MUJAFFARNAGAR,
 DISTT.- BARABANKI.
 S/O SRI ADITYA GIRI



10.00M. WIDE ROAD SECTION

SIZE	AREA (SQM.)
9.14 X 18.28M.	167.07
9.14 X 18.28M.	167.07
9.14 X 18.28M.	167.07
9.14 X 18.28M.	167.07
9.14 X 18.28M.	167.07
9.14 X 18.28M.	167.07
TOTAL PLOT AREA	2426.02 SQM.



SPACE FOR APPROVAL


परमिट संख्या...10.8...दिनांक...29/04/2022
 की शर्तों के अधीन स्वीकृत
 अरर विमानना अधियन्ता अरर मुख्य अधिकारी
 भिस्त विमानन विभाग

AREA STATEMENT

TOTAL LAND AREA -	4060.00 SQM. - 100.00%
TOTAL PLOT AREA -	2426.02 SQM. - 59.75 %
TOTAL PARK AREA -	609.08 SQM. - 15.01 %
TOTAL ROAD AREA -	1024.90 SQM. - 25.24%



REFERENCE

DRAIN LINE	
R.W.H.	
ELECTRIC POLE	
EXISTING ROAD	
PROPOSED ROAD	
WATER SUPPLY	
S.T.P.	




OWNER'S SIGN.

PROPOSED LAY-OUT PLAN OF A
 "SAINIK VIHAR" SITUATED AT KHASE
 PAR.-DEWA, TEH.- NAWAL
 DIRECTOR:- SRI ABHAY NAR



S.NO.	SIZE	AREA
01.	10.00X18.28M.	182.
02.	10.66X18.28M.	194.
03.	10.00X18.28M.	182.
04.	10.66X18.28M.	194.
05.	9.14 X18.28M.	167.
06.	9.14 X18.28M.	167.
07.	9.14 X18.28M.	167.
08.	9.14 X18.28M.	167.

SITE PLAN



LAY-OUT PLAN

02	01
10.66X 18.28M.	10.00X 18.28M.

